

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

दिल्ली, मंगलवार, मई 20, 2014/वैशाख 30, 1936

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 30

No. 67]

DELHI, TUESDAY, MAY 20, 2014/VAISAKHA 30, 1936

[N.C.T.D. No. 30

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 मई, 2014

सं.फा. 6/8/पीएफ-सीएफ/1999/डीएसVI/460.—दिल्ली जमाकर्ता हित संरक्षण (वित्तीय संस्थापनाओं में) अधिनियम, 2001 (2001 का दिल्ली अधिनियम संख्या 10) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इसके द्वारा अधिनियम के प्रयोजन की पूर्ति के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को दिल्ली जमाकर्ता हित संरक्षण (वित्तीय संस्थापनाओं में) नियमावली, 2014 कहा जा सकेगा।
(2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
2. परिभाषाएं :- (1) जब तब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इन नियमों में :-
(क) "अधिनियम" का अर्थ है दिल्ली जमाकर्ता हित संरक्षण (वित्तीय संस्थापना में) अधिनियम, 2001 (2001 का दिल्ली अधिनियम सं. 10) से है;
(ख) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है;
(ग) "पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता" का अर्थ संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 34कक-कड के अन्तर्गत किसी मूल्यांकनकर्ता के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

- (घ) "दिल्ली" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से है;
- (ङ) "अनुभाग" का तात्पर्य अधिनियम के अनुभाग से है;
- (च) "प्रपत्र" का अर्थ नियमावली द्वारा निर्धारित किसी प्रपत्र से है;
- (छ) "संपत्ति" का अर्थ ऐसे व्यक्ति की चल या अचल संपत्ति शेयर, बैंक में जमा कराई गयी अन्य प्रतिभूति राशि या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त होने वाली राशि से है;
- (ज) "शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ" अधिनियम में परिभाषित तथा प्रयुक्त, लेकिन इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, उनका अधिनियम में उन्हें दिये गए अर्थ होंगे।

3. सूचना प्राप्त करने के लिये सक्षम प्राधिकारी का अधिकार :— (1) सक्षम प्राधिकारी को चूक करने वाली वित्तीय संस्थापना को अपने अधिकारियों/कर्मचारियों या सरकार या किसी संगठन के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की या सरकारी उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी स्वायत्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत प्राधिकारी से गतिविधि की सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा ऐसे वित्तीय संगठन या सरकार या स्थानीय प्राधिकरण का प्राधिकारी या व्यक्ति को ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के प्रति बाध्य होगा।

(2) थाने का कोई प्रभारी अधिकारी या विधि सम्मत क्षेत्राधिकार रखने वाला राजस्व अधिकारी, जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हैं, तब सभी कदम उठाएगा, जिनमें वित्तीय संस्थापना ऐसी वित्तीय संस्थापना के प्रोमोटर, निदेशक, प्रबंधक, अधिकारी, सेवक या सदस्य की जांच या किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, बही खाते आदि के संबंध में जांच या जांच पड़ताल करने, सर्वेक्षण शामिल है।

4. चूक करने वाली वित्तीय संस्थापना की संपत्ति की कुर्की :—(1) सरकार अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (ii) के अन्तर्गत कुर्की के अन्तरिम आदेश पारित करेगी।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत सरकार के आदेशों की प्राप्ति होने पर सक्षम प्राधिकारी इसमें निम्न निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपत्ति की कुर्की के लिये कार्यवाहियां प्रारंभ करेंगे तथा ऐसी कुर्की चूक करने वाली संस्थापना के प्रोमोटर, निदेशक, साझेदार या प्रबंधक या किसी सदस्य या कर्मचारी की संपत्तियों के संबंध में की जा सकेगी।

(3) सक्षम प्राधिकारी किसी अचल संपत्ति के संबंध में कुर्की आदेश जारी होने पर भू-कर्मचारियों या प्राधिकृत अधिकारियों को लिखित में तत्काल नोटिस जारी करेगा और ऐसी अचल संपत्ति से जुड़े अधिकारियों तथा विधिसम्मत कृत्यों को पंजीकृत करने के प्रति कर्तव्यबद्ध होगा और उक्त भू-कर्मचारी या अधिकारी अपने अभिलेख में उक्त कुर्की का उल्लेख करेगा।

(4) संपत्ति की कुर्की करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी प्रलेखों, पहचान पत्र संपत्ति को कुर्क करने संबंधी आदेश, संपत्ति के स्वामी या हकदार व्यक्तियों को सौंपने के लिये प्रस्तुत करेगा। यदि उस व्यक्ति का पता नहीं चलता है तो प्रस्तुतिकरण कब्जा रखने वाले व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य को किया जायेगा। यदि उक्त व्यक्ति नहीं पाया जाता है, तो कुर्की ऐसे इलाके के पुलिस कर्मचारियों या प्रशासनिक अधिकारियों को सूचीबद्ध करके भी निश्पादित/प्रारंभ की जाएगी।

(5) सक्षम प्राधिकारी ऐसी अचल संपत्ति के स्थान पर कुर्की अधिसूचना लगाएगा और अचल संपत्ति के स्वामी या संयुक्त स्वामियों या ऐसी अचल संपत्ति के संबंध में अधिकार रखने वाले व्यक्ति को लिखित में नोटिस जारी करेगा। यदि ऐसे व्यक्ति को अधिसूचित नहीं किये जा सके, तो जब्ती/कुर्की अधिसूचनायें भूमि कार्यालय या जब्त/कुर्क की गई संपत्ति के आसपास और कार्यालय के कार्य स्थलों पर किसी स्पष्ट स्थान पर लगाई जाएगी।

यदि अचल संपत्ति के अधिकार संबंधी प्रलेख प्राप्त करने के लिये समर्थ हैं, तो संपत्ति संबंधी ऐसे प्रलेख कार्यालय की अभिरक्षा में रखे जाएंगे।

(6) पहले ही जब्त/कुर्क की गई संपत्ति संबंधी सक्षम प्राधिकारी ऐसी संपत्ति के स्वामी या पात्र व्यक्ति या ऐसी संपत्ति के दखलदार या दखलदार के पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा यदि ऐसा व्यक्ति हस्ताक्षर करने के लिये मना करता है या यदि ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो जब्त की गई संपत्ति की सूची बनाई जाएगी और इस इलाके के पुलिस कर्मचारी या प्रशासनिक कर्मचारी के प्रमाणन के हस्ताक्षर करेगा।

(7) कुर्की तब तक क्रियात्मक रहेगी जब तक नामित न्यायालय का अंतिम निर्णय न आ जाए।

(8) सरकार द्वारा जब्त सभी राशि या संपत्ति और अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी में निहित को सक्षम प्राधिकार द्वारा सील किया जाएगा और वह सक्षम प्राधिकारी की अभिरक्षा/कब्जे में रहेगा।

(9) सक्षम प्राधिकारी प्राप्त संपत्ति, प्रबंधन तथा निपटान से प्राप्त आय एवं व्यय का संपूर्ण रिकार्ड रखेगा और समय-समय पर नामित न्यायालय में प्रस्तुत भी करेगा।

5. धारा 4 के अन्तर्गत जब संपत्ति के कब्जे की प्रक्रिया .— (1) जब जब की जाने वाली संपत्ति कृषि के अलावा चल संपत्ति हो और ऋणी के कब्जे में उत्पादन दे रही हो तो कुर्की वास्तविक कब्जे द्वारा की जाएगी और जब करने वाला अधिकारी संपत्ति को अपने कब्जे में रखेगा या अपने किसी अधीनस्थ या प्राप्तकर्ता के कब्जे में रखेगा जिसे उपनियम (2) के अंतर्गत नियुक्त किया गया है और देय कब्जे के लिए जिम्मेवार होगा।

बशर्ते कि जब संपत्ति को शीघ्र कब्जे में लेना हो तथा प्राकृतिक अपकर्ष हो या उसे कब्जे में रखने का व्यय उसके वास्तविक मूल्य से अधिक हो तो जब करने वाला अधिकारी उसे नीलामी द्वारा तुरन्त बेच सकता है या ऐसी संपत्ति का अधिकतम मूल्य पाने हेतु उचित कार्यवाही कर सकता है।

(2) धारा 4 के अंतर्गत अधिकारी द्वारा सशर्त कुर्की के आदेश के लिए इस धारा के अंतर्गत चल संपत्ति की कुर्की के कब्जे के लिए वह प्राप्तकर्ता नियुक्त करेगा और उसकी ड्यूटी एवं दायित्व नियुक्त प्राप्तकर्ता अधिकारी के समतुल्य होंगे जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 05) की प्रथम अनुसूची में आदेश XL में निहित है।

(3)(i) जब जब की जाने वाली संपत्ति अचल हो तो जब की आदेश में ऋणी को किसी भी हालत में संपत्ति के स्थानान्तरण या चार्जिंग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और कोई व्यक्ति ऐसे स्थानान्तरण या चार्ज से लाभ नहीं उठा सकता है।

(ii) ऐसी संपत्ति के नजदीक या उस स्थान पर ढोल बजाकर या अन्य प्रचलित तरीकों से आदेश की घोषणा की जाएगी और आदेश की प्रति संपत्ति के एक हिस्से पर लगाई जाएगी और गांव चौपाल/स्थान के मुख्य हिस्से में भी आदेश की प्रति लगाई जाएगी, जहां जिस भूमि पर संपत्ति स्थित है, इसे राजस्व क्षेत्र के उपायुक्त, ब्लाक विकास अधिकारी तथा संपत्ति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत तहसीलदार के कार्यालय में भी लगाई जाएगी।

6. संपत्ति तथा जमा एवं दायित्वों के आकलन के लिए प्रक्रिया.— (1) सक्षम प्राधिकारी दोषी वित्तीय संस्थान के संपत्ति, जमा एवं दायित्वों के आकलन के लिए पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करेंगे।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत नियुक्त पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कम से कम एक विभाग के पैनल पर होने चाहिए।

(3) किसी संपत्ति की कुर्की या जबी पर सक्षम प्राधिकार कथित संपत्ति, जमा एवं दायित्व पर शीघ्रता से आकलन करेंगे।

(4) किसी भी संवर्ग की संपत्ति के आकलन के लिए, विशेषज्ञों या जानकार दक्ष व्यक्तियों के विचार भी उक्त संपत्ति के उचित निरीक्षण के बाद मांगे जाएंगे।

(5) भूमि के आकलन के मामले में बाजार भाव या बाजार भाव के नजदीक के साथ तुलना का उद्देश्य प्रयुक्त किया जाए परन्तु यह सक्षम विभाग द्वारा अधिसूचित दर से कम नहीं होनी चाहिए।

(6) पुरानी संपत्ति के लिए वास्तविक स्थिति में या अन्य निर्धारित प्रक्रिया के तहत मूल्य हास से कम बाजार मूल्य प्रयोग किया जाएगा।

7. नामित कार्यालय की रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रिया .— नामित न्यायालय को मामले की रिपोर्टिंग के लिए सक्षम प्राधिकारी सिविल प्रक्रिया संहिता के कोड में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपील दायर करने संहिता की प्रक्रिया, यदि नामित न्यायालय के आदेश द्वारा अपकृत हो .— सक्षम प्राधिकारी सिविल प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार नामित न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील दायर करने की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

9. दोषी वित्तीय संस्थान के बहियों, कागजातों तथा दस्तावेजों का सुरक्षित कब्जा .— सक्षम प्राधिकार दोषी वित्तीय संस्थान के सभी रिकार्ड/बहियों, कागजातों तथा दस्तावेजों की तब तक सुरक्षित कब्जा सुनिश्चित करेगा जब तक नामित न्यायालय का अंतिम आदेश नहीं आ जाता और अपील के मामले में उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अगले आदेश तक।

10. तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) तथा लाभ हानि खातों की लेखा परीक्षा .— सक्षम प्राधिकार नियुक्त किए गए चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रशासनिक आदेश के माध्यम से बैलेंस शीट तथा लाभ हानि खाता प्राप्त करने के लिए उत्तरदायित्व होगा।

11. फरार व्यक्तियों के लिए शक्तियां .— जहां सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है या विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि जिसके विरुद्ध कार्रवाई का विचार है या फरार के विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई का विचार है या अपने आप को छिपा रहा है, तो सक्षम प्राधिकारी नामित न्यायालय को लिखित में रिपोर्ट देगा।

12. कुर्की के आदेश जारी करने की शक्ति .— (1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किसी उपक्रम/निजी संस्था के अधिकारी/कर्मचारी का धन के कब्जे के उद्देश्य से मदद ले सकता है जिसकी कुर्की के आदेश जारी किए जा चुके हैं। ऐसे अधिकारी की यह ड्यूटी होगी कि वह सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक सहायता प्रदान करे।

(2) सक्षम प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन आदेश जारी करने पर जिस सम्पत्ति की कुर्की के आदेश किये गये हैं उस सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से पुलिस अधिकारी या सरकार के किसी अधिकारी या सरकार के अधीन किसी उपक्रम स्वायत्त निकाय के किसी अधिकारी/कर्मचारी से आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकेंगा तथा सहायता की मांग की जाने पर उस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह सक्षम अधिकारी को आवश्यक सहायता प्रदान करें।

13. ऐसी राशि या संपत्ति के स्थानान्तरण द्वारा राशि या अन्य संपत्ति की कुर्की के आदेश को शून्य माना जाए.— जब अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सरकार द्वारा वित्तीय संस्था की राशि या अन्य संपत्ति के कुर्की के अन्तिम आदेश जारी किए जाते हैं तो आदेश से संबंधित राशि या संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के नाम स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा और यदि कोई स्थानान्तरण किया जाता है तो उसे प्रारम्भ से ही निष्प्रभावी माना जाएगा।

14. अपील.— (1) सक्षम प्राधिकारी की आदेश से असंतुष्ट सरकार या व्यक्ति ऐसे आदेश के साठ दिन के भीतर पदनामित न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकती/सकता है।

(2) नामित न्यायालय के आदेश से असंतुष्ट पक्षकार ऐसे आदेश के होने के साठ दिन के भीतर दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है और ऐसी अपीलें दायर करने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की 2) में उल्लिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

15. विशेष लोक अभियोजनक को सहायता उपलब्ध कराने के लिये सक्षम प्राधिकारी.— सक्षम प्राधिकारी यथापेक्षित नामित न्यायालय में प्रकरणों के संचालन में विशेष लोक अभियोजक को सहायता देने की व्यवस्था करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उप-सचिव- VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th May, 2014

No. F. 6/8/PF-CF/1999/dsVI/460.—In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Delhi Protection of Interests of Depositors (In Financial Establishments) Act, 2001 (Delhi Act No. 10 of 2001), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following rules further to carry out purpose of the Act, namely:—

1. Short title and Commencements.— (1) These Rules may be called the Delhi Protection of Interests of Depositors (In Financial Establishment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires.—

- (a) "Act" means the Delhi Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 2001 (Delhi Act No. 10 of 2001);
- (b) "Competent Authority" means the authority appointed by the Government under Section 5 of the Act;
- (c) "Registered Valuer" means a person appointed by the Competent Authority as a valuer under Section 34 AA-AE, of the Wealth Tax Act, 1957;
- (d) "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi;
- (e) "section" means a section of the Act;
- (f) "Form" means a form prescribed by the Rules;
- (g) "Property" means movable and immovable property of such person, Shares, other securities and money deposited in the bank or due from any other person.
- (h) "Words and expressions" defined in the Act and used, but not defined, in these rules, shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. Competent Authority's right to acquire information:- (1) The Competent Authority shall have power to acquire information on the activity of the defaulting financial establishment from any of its officers/employees or any officer or authority of the Government or any organization or authority working under the Government undertaking or Public Sector Undertaking or any autonomous organization and such financial establishment or officer or authority of the Government or local authority or person shall be bound to furnish such information to the Competent Authority.

(2) An officer in charge of the police station or any Revenue Officer having the lawful jurisdiction, when required by the Competent Authority, shall take all steps, including inquiry, investigation or survey in respect of any person, place, property, documents, books of account, etc., of the Financial Establishment or promoter, director, manager, officers, servants or members of such Financial Establishment.

4. Procedure for attachment of property of the defaulting financial establishment:-

(1) The Government shall pass the ad-interim order of attachment under clause (ii) of sub section (2) of section 4 of the Act.

(2) Upon receipt of the orders of the Government under sub-rule (1), the competent authority shall initiate proceedings for attachment of the property as per the procedure prescribed herein below and such attachment may be carried out in respect of the properties of the promoter, director, partner or manager or any member of employee of the defaulting financial establishment.

(3) Consequent upon issue of attachment order in respect of any immovable property, the competent authority shall promptly issue notice in writing to the land officials or the officers authorized and duty-bound to register the rights and juristic acts connected with such immovable property and the said land officials or officers shall enter the said attachment in their record.

(4) Prior to the attachment of property, the competent authority shall present the assignment documents, the identity card and the order attaching the property to the owner or the persons entitled to the property. If such person is not found, the presentation shall be made to the possessor or family member of the possessor. If the said person is not found the attachment shall be executed/undertaken by also enlisting the police officials or administration officials in such locality.

(5) The competent authority shall post the attachment notification at the location of such immovable property and issue a notice in writing to the immovable property owner and the combined owners or the persons having title in respect of such the immovable property. If such persons could not be notified, the seizure/attachment notifications shall be posted at the land office or at a conspicuous place in the vicinity as seized/attached and at the workplaces of the office.

In case that the competent authority is able to obtain the documents of title of the immovable property, such documents of the property shall be kept in custody in the office.

(6) Upon the property being already seized/attached, the competent authority shall arrange for the owner or the person entitled to such property or the possessor or family member of the possessor of such property to affix signature certifying the list of seized property. If such person refuses to affix signature or in case such person is not present, the list of seized property shall be recorded and the police official of administration official of such locality shall affix signature of certification instead.

(7) Attachment shall remain operative till the outcome of final verdict of the Designated Court.

(8) All money or property, attached by the Government and vested in the Competent Authority under section 4 of the Act shall be sealed by the competent authority and shall be in the custody/possession of competent authority.

(9) The Competent Authority shall maintain the record of all the income received from the expenditure incurred for, the property received, managed and disposed and furnish the same to the designated court, from time to time.

5. Procedure for the custody of property attached under section 4.- (1) Where the property to be attached is movable property, other than agricultural produce in the possession of the debtor, the attachment shall be made by actual seizure and the attaching officer shall keep the property in his own custody or in the custody of one of his subordinates or of a receiver, who has been appointed under sub rule (2) and, shall be responsible for the due custody thereof.

2110 DG/14-2

Provided that when the property seized is subject to speedy and natural decay or when the expenses of keeping it in custody are likely to exceed its value, the attaching officer may sell it at once by way of auction or such other mode as fit and proper for securing maximum value of such property.

(2) Where it appears to the officer ordering conditional attachment under section 4 to be just and convenient, he may appoint a receiver for the custody of the movable property attached under that section and his duties and liabilities shall be identical with those of a Receiver appointed under Order XL in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(3) (i) Where the property to be attached is immovable, the attachment shall be made by an order prohibiting the debtor from transferring or charging the property in any way, and any such person from taking any benefit from such transfer or charge.

(ii) The order shall be proclaimed at some place on, or adjacent to such property by beat of drum or other customary mode, and a copy of the order shall be affixed on a conspicuous part of the property and also upon a conspicuous part of the village chaupal/locality and where the property on land is situated, it may also be affixed in the office of the Deputy Commissioner of the revenue area, the Block Development Officer and the Tehsildar within whose jurisdiction the property is situated.

6. Procedure for assessment of assets and deposits and liabilities.- (1) The Competent Authority shall appoint a registered valuer for assessment of the assets, deposits and liabilities of the defaulting financial establishment.

(2) The registered Valuer so appointed under sub-rule (1) should be on the panel of at least one Department of Central Government or State Government.

(3) Upon the seizure or attachment of any assets, the competent authority shall promptly undertake the assessment of the said assets, deposits and liabilities.

(4) For the assessment of assets of any category, the opinion of experts or knowledgeable skilled persons may be sought after proper inspection of such property.

(5) In the matter of assessment of land, the principle of comparison with the market price or the price closest to the market price rate shall be used but it shall not be lower than the rate notified by Competent Department.

(6) For old property, the market price less the depreciation under actual condition or other prescribed procedure shall be used.

7. Procedure for reporting to the Designated Court. - For reporting the matter to the Designated Courts the Competent Authority shall follow the procedure as laid down in Code of Civil Procedure.

8. Procedure for filing appeals by the Competent Authority if aggrieved by the order of the Designated Court. - The Competent Authority shall follow the procedure for filing appeals against the orders of the Designated Courts as per the provisions of the Code of Civil Procedure.

9. Safe custody of books, Papers and documents of the defaulting financial establishment.- The competent authority shall ensure safe custody of all the records/books, papers and documents of the defaulting financial establishment till the issuance of the final order of the Designated Court and in case of appeal till further order of the High Court/Supreme Court.

10. Auditing of the balance sheets and profit and loss accounts. - The Competent Authority shall be responsible for getting the balance sheets and profit and loss accounts audited through an administrative order by a chartered accountant appointed by it.

11. Powers relating to absconding persons. - Where the competent authority is satisfied or has reason to believe that a person in respect of whom action is contemplated or being contemplated under the Act, has absconded or is hiding himself, the competent authority shall make a report in writing to the Designated Court.

12. Power to issue order of attachment.- (i) An order attaching the money and other property of a Financial Establishment to be issued by the Government, under section 4 of the Act shall be issued by the Competent Authority.

(2) The Competent Authority consequent upon issue the order under sub-rule (1), may seek the necessary assistance of police officer or any officer of the Government or an officer/employee of any undertaking/autonomous body under the Government for the purpose of taking possession of the property in respect of which the attachment order has been made and upon such requisition, it shall be the duty of such officer to render the necessary assistance to the Competent Authority.

13. When an order is made attaching the money or other property, transfer by such money or property shall be void. - When an ad-interim order attaching the money or other property of a financial establishment is made by the Government under section 4 of the Act, such money or property referred to the order shall not be transferred to any other persons by any mode whatsoever and if any such transfer is made, it shall be null and void ab initio.

14. Appeal. - (1) The Government or the person aggrieved by the order of the Competent Authority may file appeal before the Designated Court within **Sixty Days** of such order.

(2) The Party, aggrieved by the order of the Designated Court may file appeal in the High Court of Delhi within **Sixty Days** of such order and the procedure for filing such appeals, as contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall be followed.

15. Competent Authority to provide assistance to Special Public Prosecutor. - The Competent Authority shall arrange to render assistance to the Special Public Prosecutor in conducting the cases in the Designated Court, as may be required.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. VI (Finance)

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 मई, 2014

सं.फा. 5(10)/वाद./10/उप-सचिव/अवर सचिव/74-84.-दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ परामर्श के पश्चात् निम्नलिखित अधिवक्ताओं को दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय में किसी भी अभियोजन, अपील अथवा अन्य कार्यवाहियों के संचालन के लिए अगले आदेशों तक अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ताओं (आपराधिक) के रूप में नियुक्त करते हैं। :-

क्रम संख्या	अधिवक्ता का नाम
1	श्री संजीव भंडारी
2	श्री मुकेश गुप्ता
3	श्री संजय लाओ

2 ये नियुक्तियों समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अधीन होंगी।

3 यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी तथा अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
डा. सौरभ कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 20th May, 2014

No. F. 5(10)/Lit./10/ASLaw/74-84.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 24 of Criminal Procedure Code, 1973 (Central Act 2 of 1974) the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, after consultation with the High Court of Delhi, is pleased to appoint the following advocates as Additional Standing Counsel(Criminal) for conducting any prosecution, appeal or other proceedings in the High Court of Delhi till further orders.

<u>S. No.</u>	<u>Name of advocate</u>
1.	Sh. Sanjeev Bhandari
2.	Sh. Mukesh Gupta
3.	Sh. Sanjay Lao

2. The appointment will be subject to such terms and conditions as may be prescribed from time to time.

3. This notification will come into force with immediate effect and shall remain in force till further orders.

By Order and in the Name of Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
Dr. SAURABH KULSHRESHTHA, Addl. Secy.